

आदेश

कार्यवाही विवरण

14/5/24 प्रा. पत्र भिजाने तथा नोट प्रेस पर पत्रावली पेश हुई। वकील पराकायात उपस्थित वकील वादी/प्राथी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर खारिज/नोट प्रेस खारिज करवाना चाहते है तथा इस आशय के आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। फलस्वरूप प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज/नोट प्रेस पर खारिज किया जाता है। निर्णय रफे इजलास सुनाया गया। पत्रावली के सब शूतार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखील दफतर हो।

उपरखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी

NOTE
press

भक्ति कुमार
(वादी)